

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रा)

मुकदमा संख्या :- /20

	<p>सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रजात डिक्री किया जाहिर किया।</p> <p>वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रजात रिपोर्ट पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रजात रिपोर्ट प्राथमिक के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट किसी प्रकार से आपत्ति नहीं किये जाने से एवं कुर्रजात मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक विभाजन अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>
--	--